बी. नागभूषणम

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 874/2008)

13 मई, 2008

[एस. बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंत न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धारा 279 और 304ए-बस ने एक बच्चे को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई- विचारण न्यायालय द्वारा बस चालक को दोषी ठहराया गया-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा को छह महीने में धारा304ए के तहत के साधारण कारावास एवं 5000/- रूपये में संशोधित कर दिया। अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि बस जल्दबाजी और लापरवाही से चलायी गयी थी -उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को चौंकाने वाला नहीं कहा जा सकता है।

अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 279 और 304-ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन मामला यह था कि अपीलार्थी द्वारा जिस बस को चलाया जा रहा था ने लगभग सात वर्ष की आयु के एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। इसने अपीलार्थी को अंतर्गत धारा304ए में एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा और 1000 रूपये के जुर्माने के तथा अंतर्गत धारा 279 में एक माह का साधारण कारावास और 500/- रूपये के जुर्माने से दण्डादिष्ट किया। अपीलार्थी, उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों के तहत दोषसिद्धि को

बरकरार रखा, लेकिन धारा 304ए के तहत सजा को संशोधित करते हुए Rs.5000/- के जुर्माने के साथ छह माह का साधारण कारावास का आदेश दिया। संतुष्ट नहीं होने पर आरोपी ने तत्काल अपील दायर की।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य के अनुसार बस 15-20 किमी प्रति घंटे की गति से चलाई जा रही थी, अतः लापरवाही और उपेक्षापूर्वक से गाड़ी चलाने का मामला सामने नहीं बनता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि पीडब्लू. 1 दुर्घटना का साक्षी था, के अनुसार बच्चे के सिर पर और शरीर के अन्य अंग पर गंभीर चोटें आईं। जिरह में उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि बस तेज गति से चलायी गयी। यह विचारण न्यायालय ने पाया था कि केवल पीडब्लू. 1 का साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त था कि अपीलार्थी आरोपित अपराधों का दोषी था। अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह अलग-अलग स्थानों पर खड़े थे। उन्हें अलग-अलग स्थानों से दुर्घटना देखने का अवसर मिला। इसके अलावा, स्थान 'मजार' (प्रदर्श. पी-2) प्रकट किया गया कि उस सड़क पर लगभग 20-25 फुट के लिए एक विराम चिह्न था। 'मजार' की सामग्री (विस्तार पी-5) को चुनौती नहीं दी गयी। यह स्वीकृत था कि बस में कोई तकनीकी विफलता नहीं थी। अपीलार्थी ने यह नहीं कहा कि उसकी ओर से निर्णय में कोई त्रुटि थी। उच्च न्यायालय ने अपने सीमित पुनरीक्षण अधिकार को उपयोग करते हुए मामले पर विस्तार से चर्चा की। इस तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि बस को अपीलार्थी लापरवाही और उपेक्षापूर्वर्क चला रहा था। इससे भिन्न दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है, अतः उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को चौंकाने वाला नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 6-11] [451E, 447H 450ABC 449F, G]

दलबीर सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2000) 5 एससीसी 82; और रतन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1979) 4 एससीसी 719- के आधार पर।

सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1848-लागू नहीं था।

ए. पी. बनाम राज्य सी. उमा महेश्वर राव और एन. आर. (2004) 4 एस. सी. सी. 399-संदर्भित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 2008 का 874

सी. आर. एल. आर. पी. सं. 618/2004 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26.6.2007 से।

एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार और विजय कुमार अपीलार्थी की तरफ से।

उत्तरदाता की तरफ से अनीता शेनॉय।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस एस. बी. सिन्हा, के द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी एक बस, जिसके पंजीकरण न. एपी-10-जेड-5260 का चालक था। वह बैंगलोर में हिन्दुपुर रोड पर उक्त बस चला रहा था। 10.1.1999 को, लगभग 2.00 बजे शाम को जब बस एक गाँव से गुजर रही थी जिसे आमतौर पर कमलापुरा के नाम से जाना जाता था, बस को शांता नाम के एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिसकी मृत्यु हो गयी। शांता उस समय 7 वर्ष का था। उसके खिलाफ आपराधिक अभियोजन अंतर्गत धारा279 व 304ए में आरंभा हुआ। वह उक्त अपराध के लिए दोषी पाया गया। वह अंतर्गत धारा 304ए एक वर्ष के साधारण कारावास व 1000/- रूपये के जुर्माने से तथा

अंतर्गत धारा 279 एक माह के साधारण कारावास व 500/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अपील जो पेश की गयी वह खारिज की गयी और उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में उल्लेखित कारण से सजा को संशोधित करते हुए निर्देश दिया किः

> "याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण के विरुद्ध दंडनीय अपराध अंतर्गत धारा 304ए आई. पी. सी. के तहत पारित सजा के आदेश में संशोधन किया गया है। वह छह महीने के साधारण कारावास भुगतेग और 5000 / - रुपये का जुर्माना देगा। जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर वह एक महीने साधारण कारावास भुगतेगा। जुर्माने की राशि में से Rs.5000/- यदि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा जमा किया जाता है, तो Rs.4000/- की राशि का भुगतान पीडब्लू 6 गौरम्मा को किया जाएगा और शेष Rs.1000/- राज्य राजकोष में जमा किया जाएगा।"

3. इस न्यायालय द्वारा एक आदेश द्वारा एक सीमित नोटिस दिनांकित 25.2.2008 केवल सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिए जारी किया गया।

4. विद्वान वकील अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री कुलकर्णी, ने निवेदन किया कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय भी मामले के गुणावगुण पर जाकर और अपीलांट के पक्ष में बरी होने का निर्णय पारित कर सकता है। विद्वान वकील का तर्क है कि इस तथ्य में कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि मृतक सडक के बांयी दिशा में थी व उसकी लाश सडक के दांयी दिशा में पायी गयी, वह अचानक सड़क पर भागी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त दुर्घटना हुई। यह आग्रह किया गया था कि मजार के अलावा, सबूत यह दिखाने के लिए अभिलेख पर लाया गया था कि अपीलार्थी बस को उपेक्षापूर्वक और लापरवाही से चला

रहा था और किसी भी मामले में, सवाल अपीलार्थी की ओर से उपेक्षापूर्वक और लापरवाही से बस चलाने का नहीं है क्योंकि बस की गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत इस आपराधिक मामले में लागू नहीं होता है।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाता की तरफ से विद्वान वकील के रूप में सुश्री अनीता शेनॉय उपस्थित हुईं, ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से अपराध का पता लगाने के उद्देश्य से, पूरी परिस्थितियों का समग्र रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए जो है

(i) चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य;

(ii) वाहन में कोई यांत्रिक विफलता नहीं देखी गईः

(iii) निर्णय में त्रुटि का कोई मामला नहीं बनाया गया है और

(iv) अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि दुर्घटना कैसे हुई।

6. अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अदालत के विचारण न्यायाधीश, ने मामले पर विस्तार से विचार किया।विद्वत विचारण न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि बस तेज गति से चलायी जा रही थी। इसे आगे भी ध्यान में रखा गया कि उक्त प्रश्न पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी, बयान करते हुएः

"7. इस मामले में पीडब्लू 1 एक श्री चौडप्पा शिकायतकर्ता है। उन्होंने सशपथ कथन किया है कि इस मामले में उसकी गवाही की तारीख से लगभग 8-10 महीने पहले घटना के दिन वह दुर्घटना स्थल से लगभग 25 फीट की दूरी पर था और उस समय आरोपी व्यक्ति द्वारा बैंगलोर से हिन्दुपुर दिशा की ओर जा रही बस ने बच्चे को टक्कर मार दी और जिसके परिणामस्वरूप बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर और अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं और परिणामस्वरूप मौके पर ही बच्चे की मृत्यु हो गई। इस संबंध में उन्होंने प्रदर्शपी. 1 एक शिकायत भी दी है, जिस पर उसके

हस्ताक्षर के अनुसार पी. 1 (ए)चिह्नित किया गया। पीडब्लू 1 ने आरोपी जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, की पहचान की थी। उन्होंने भी प्रदर्शपी 2 के अनुसार मजार के बारे में भी गवाही दी और प्रदर्श पी 2 (ए) हस्ताक्षर को पहचाना। अभियुक्त व्यक्ति की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा अभियोजन मामले का समर्थन करती है। इसके खिलाफ जिरह के दौरान दूरी, घटनास्थल की दिशा के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। जिरह के सावधानीपूर्वक अध्ययन पर जाँच से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। प्रतिपरीक्षा में यह भी पता चला कि बस इतनी गति से चलाई जा रही थी। प्रदर्शपी 2 और प्रदर्श पी 2 (ए) की सामग्री के संबंध में उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। इस प्रकार मजार की सामग्री को चुनौती नहीं दी गई। अन्य गवाहों और सबूतों के अतिरिक्त, पीडब्लू 1 का साक्ष्य ही स्वयं अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है और यह सबूत अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त व्यक्ति के अपराध को साबित करने में बहुत मददगार है।

9. पीडब्लू 3 से पीडब्लू 6 के साक्ष्य का तुलनात्मक अध्ययन और पीडब्लू 8 से पीडब्लू 11 स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करता है। सभी गवाहों ने आरोपी व्यक्ति द्वारा तेजगति एवं लापरवाही से बस चलाने की गवाही दी है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 7 वर्ष की आयु में शांतम्मा की मृत्यु हो गई। सभी इन गवाहों ने कहा है कि दुर्घटना स्थल के आसपास अलग-अलग स्थानों पर खडे थे और कि उन्होंने दुर्घटना को चश्मदीद गवाह के रूप में देखा है, और प्रत्येक गवाह के बीच बिल्कुल विरोधाभासी साक्ष्य का कोई विवाद नहीं है अर्थात पीडब्लू 3 से पीडब्लू 6 और पीडब्लू 8 से पीडब्लू 11 तक। बचाव पक्ष का वकील ने पूरी तरह से यह स्थापित करने में विफल रहा कि बस का चालक शांतम्मा की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है, और अभियुक्त व्यक्ति की ओर से तेज और लापरवाही से गाड़ी नहीं चलायी गयी है। पीडब्लू 3 की प्रतिपरीक्षा में एवं इन सभी गवाहों की प्रतिपरीक्षा के अनुसार दुर्घटना के बाद बस

को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है पीडब्लू 15 ने बस को पुलिस स्टेशन से छुडवा लिया। इससे अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकृति के मामले में हमारे लिए सबूत का पुनर्मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

7. अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक के बयान पर अपीलार्थी द्वारा भरोसा करना कि बस 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलायी जा रही थी, हमारी राय में, उचित रूप से स्वीकार नहीं की गई है।

8. लड़की का शव बस से 2 फीट दूर मिला। यह सड़क के दाहिने तरफ फुटपाथ से केवल 3 फीट की दूरी पर था। माना जा सकता है कि बस में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी। अपीलार्थी ने यह नहीं कहा कि निर्णय में उसकी तरफ से त्रुटि थी।

उच्च न्यायालय ने अपने सीमित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मामले पर कुछ विस्तार से विवेचन किया है और समस्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि बस को तेजी से और लापरवाही से चलाया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीडब्लू 12 द्वारा-डॉ. एम. एन. राजू, द्वारा प्रमाणित की गई। मजरूब को कई बाहरी चोटें आईं। विच्छेदन पर, निम्नलिखित चोटें पाई गई

> "(क) दांहिना अस्थायी क्षेत्र अवसादग्रस्त घाव उपस्थित (ख) दांए टेम्पोरल क्षेत्र में मौजूद सामान्य थक्के
>
> 9. पीडब्लू 1 एक श्री चौडप्पा है। वह दुर्घटना का गवाह है। उसके अनुसार, बच्चे के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। एक सवाल के जवाब में उसने प्रतिपरीक्षा में कहा कि बस तेज गति से चलाया जा रही थी। मजार को प्रदर्शनी पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था। मजार की सामग्री को चुनौती नहीं दी गई थी। यह. विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा पाया गया कि अकेले पीडब्लू. 1 का

साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त था कि अपीलार्थी अपराध का दोषी था। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह अलग-अलग स्थानों पर खड़े थे जिन्हें अलग-अलग दिशाओं में दुर्घटना को देखने का अवसर मिला। घटनास्थल पर मौजूद मजार ने खुलासा किया कि वहाँ सड़क पर लगभग 20-25 फुट तक एक विराम चिह्न था।"

[ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1848] में रिपोर्ट किया गया सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य पर श्री कुलकर्णी द्वारा रखा गया भरोसा उपयुक्त नहीं है। यह इस आधार पर आगे बढा कि रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत आपराधिक मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि उपेक्षा से क्षति की कार्यवाही में इसकी प्रयोज्यता सर्वविदित है, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने राय दीः

"इस धारणा का इस तरह का सरल और व्यावहारिक अनुप्रयोग किसी अन्य परिस्थितिजन्य तथ्य से विवादित तथ्य का निष्कर्ष निकालना उन सभी सिद्धांतों के अधीन है, जिनका किसी अभियुक्त को मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने से पहले संतुष्ट होना आवश्यक है। सबसे पहले सभी परिस्थितियाँ, जिसमें दुर्घटना का कारण बनने वाली वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनसे अपराध का अनुमान लगाया जाता है, दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, वे परिस्थितियाँ एक निर्धारक प्रवृत्ति की होनी चाहिए अभियुक्त के अपराध की ओर बिना गलती के इशारा करते हुए। तीसरी बात, परिस्थितियों को एक श्रृंखला को इतना पूर्ण बनाना चाहिए कि वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना को उचित रूप से नहीं उठा सके। इसका मतलब है कि उन्हें उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।''

मामले के तथ्यों को देखते हुए यह निर्णय की त्रुटि का मामला था और अभियुक्त ने उसके आचरण का एक उचित, विश्वसनीय स्पष्टीकरण दिया, कहावत रेज़ इप्सा लोकिटुर लागू नहीं पाया गया।

हालाँकि हम देख सकते हैं कि उक्त सिद्धांत एपी राज्य बनाम सी. उमा महेश्वर राव और एन. आर. [(2004) 4 एससीसी 399] में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में निम्नलिखित शर्तों पर लागू किया गया था-

> "हम यह नोट कर सकते हैं कि रघुबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 560]में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त के पास एक आरोप के खिलाफ चिह्नित मुद्रा नोट थे जिसकी उसने मांग की थी और राशि प्राप्त की यह"रेज़ इप्सा लॉक्विटुर" है।

10. हालांकि एक सीमित नोटिस जारी किया गया था, हमने श्री कुलकर्णी द्वारा उठाए गए तर्कों को पूरी गंभीरता से विचार किया है , जिसके वे हकदार थे।

11. हमारी राय है कि धारा 304ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए छह महीने का साधारण कारावास और अपीलार्थी को 1000/- रुपये का जुर्माना देने का निर्देश - और भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक महीने के लिए साधारण कारावास और Rs.500/- का जुर्माना देना चौंकाने वाला नहीं कहा जा सकता है।

12. हम, इस संबंध में, दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2000) 5 एस. सी. सी. 82], को देखें तो इसमें इस न्यायालय द्वारा पाया गया है कि

13. भारत में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी की प्रवृत्ति और पीड़ितों और उनके परिवारवालों के विनाशकारी परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अदालतें आई.

पी. सी. की धारा 304ए के तहत अपराध की प्रकृति को देखते हुए धारा 04 परीवीक्षा अधिनियम के योग्य नहीं मान सकती है। जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने या लापरवाही से मौत का कारण बनने के अपराध के लिए दी जाने वाली सजा की मात्रा पर विचार करते दुर्घटना का निवारण प्रमुख विचारों में से एक होना चाहिए। एक पेशेवर चालक अपने काम के लगभग पूरे घंटों में ऑटोमोबाइल के त्वरक को पैडल करता है। उसे लगातार खुद को सूचित करना चाहिए कि जब उसका पैर गति में वाहन के पैडल पर होता है वह एक पल की भी शिथिलता या असावधानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, ना ही दिया जा सकता है कि लापरवाही से गाड़ी चलाना आवश्यक रूप से किसी दुर्घटना का कारण नहीं है; या भले ही कोई दुर्घटना होती है तो यह जरूरी नहीं कि इसके परिणामस्वरूप किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो या भले ही ऐसी मृत्यु हो वह अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; और अंत में यह भी कि यदि वह दोषी ठहराया जाता है तो अदालत द्वारा उसके साथ नरमी से निपटा जाएगा। उसे हमेशा अपने मन में भय का भाव रखना चाहिए कि यदि एक मनुष्य अपने वाहन के कठोर चालन के कारण वह मौत का कारण बनने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वह जेल की सजा से बच नहीं सकते। ऑटोमोबाइल के बेपरवाह गाडी चलाने के कारण मोटर दुर्घटनाओं की उच्च दर को कम करने के लिए अदालतें यह भूमिका निभा सकती है विशेष रूप से विचारण न्यायालय।

13. रतन सिंह बनाम। पंजाब राज्य! (1979) 4 एससीसी 719), विचारण न्यायालय ने कहाः

> "5. फिर भी, सजा में सुधार की एक नीति होनी चाहिए। यह ड्राइवर, अगर उसे एक अच्छा ड्राइवर बनना है तो उसे यातायात कानून और नैतिकता में बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। विशेषकर मानव जीवन और

अंग के लिए। इसलिए इस क्षेत्र में इन घटकों के साथ होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि गाड़ी चलाने के अपराधों के लिए सजा के साथ राज्य जिम्मेदारी की एक जीवंत भावना के साथ बेहतर ड्राइविंग के लिए एक पाठ्यक्रम संलग्न करेगा। शायद, गरीब परिवारों वाले पुरुषों के मामलों में, कभी-कभी उचित आवेदन पर पैरोल और सुधारात्मक पाठ्यक्रम पर राज्य विचार कर सकता है। पुराने नियमों की कठोरता के बिना जो सरकार के विवेक के अधीन हैं।"

14. इसलिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो तदनुसार खारिज किया।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बबीता सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।